कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 43/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री फूसाराम जाति ब्राहम्ण नि. वार्ड नं0 19 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

——प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः—02.08.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से सूचना मांगी गई। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

जिला रसद अकिारी हनुमानगढ से पत्र कमांक 3509 दिनांक 26.07.2018 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2018 के अनुसर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से वांछित सूचना प्राप्त नही हुई है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के उक्त पत्र कमांक 3509 दिनांक 26.07.2018 के साथ संलग्न पत्र कमांक 2287 दिनाक 07.05.2018 की प्रति का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2018 में अंकित बिन्दुओ की सूचना के संबंध में सूचित किया जाना पाया गया। अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2018 के अनुसार बिन्दु संख्या 1, 5 व 6 में चाही गई सूचना का संबंध जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से संबंधित होना प्रतीत होती है। अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि बिन्दु संख्या 1, 5 व 6 के संबंध में सूचना अपीलार्थी को सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। जहां तक बिन्दु सख्या 2, 3 व 4 की सूचना का संबंध है तो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थी आवेदन तिथि को अभिलेखो में जो सूचना जिस रूप में उपलब्ध होती है उसी रूप में ले सकता है। सूचना कीयट (Create) कर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official